



2026:AHC:18038

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद  
रिट याचिका - बी संख्या - 64506/2010

श्रीमती झरिया और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

संयुक्त निदेशक चकबंदी मुख्यालय, लखनऊ शिविर और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरविन्द कुमार उपाध्याय, जे.ए. आजमी, के.के. तिवारी,  
संतोष श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.पी.सिंह, सी.एस.सी., दिग्विजय तिवारी, फहीम अहमद

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

इन रि(संदर्भ में): सिविल प्रकीर्ण प्रत्याहरण आवेदन संख्या 11/2025

- वर्तमान प्रत्याहरण आवेदन याचिकाकर्ताओं की ओर से छोटे लाल सिंह (याचिकाकर्ता संख्या 1/3) के शपथपत्र से समर्थित रिट याचिका को प्रत्याहृत करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिवर्तित परिस्थितियों में याचिकाकर्ता रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते, अतः वर्तमान प्रत्याहरण आवेदन अनुज्ञात किया जाए और रिट याचिका प्रत्याहृत के रूप में खारिज की जाए।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है।
- अतः वर्तमान प्रत्याहरण आवेदन एतद्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

इन रि(संदर्भ में): रिट याचिका

- प्रत्याहरण आवेदन में दिनांक के आदेश के दृष्टिगत, जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित है, वर्तमान रिट याचिका प्रत्याहृत के रूप में खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27 जनवरी, 2026

विकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।